Lecture 10:

Prof Nirmal Kr Singh
Associate Professor
Deptt of LSW
S.N.S.R.K.S College, Saharsa
Email: nirmalsingh245@gmail.com

Industrial Relations:

Topics:

1. **बुरे औद्योगिक सम्बन्धों का प्रभाव (Effects of Bad Industrial Relations)**
2. **अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की आवश्यक शर्तें (Conditions for Good Industrial Relations)**

 # 1. बुरे औद्योगिक सम्बन्धों का प्रभाव (Effects of Bad Industrial Relations):

उद्योग की कार्यकुशलता व सफलता में मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का विशेष महत्व होता है । यदि किसी संस्था मे औद्योगिक सम्बन्ध मधुर नहीं हैं तब वहाँ औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो सकती है तथा हड़ताल एवं तालाबन्दी तक की स्थिति आ जाती है ।

इसका नियोक्ता पर तो प्रभाव पडता ही है, श्रमिक उपभोक्ता और समाज भी उसके बुरे प्रभाव से बच नहीं पाते । इन्हें तो वास्तव में भारी हानि उठानी पड़ती है ।

औद्योगिक संघर्ष के कारण होने वाले मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं:

(1) उद्योग पर प्रभाव (Effect on Industry):

औद्योगिक सम्बन्ध खराब होने से संस्था में औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो जाती है जिससे संस्था में उत्पादन कार्य रुक जाता है । संस्था के साधन बेकार पड़े रहते हैं । उत्पादन रुक जाने से ग्राहकों के आदेश समय पर पूरे नहीं हो पाते तथा बड़ी संख्या में ग्राहक टूट जाते हैं जिन्हे बाद में प्राप्त करना सरल नहीं होता ।

(2) श्रमिकों पर प्रभाव (Effect of Workers):

औद्योगिक अशांति का सबसे बुरा प्रभाव श्रमिकों पर पड़ता है । श्रमिकों को हड़ताल के दिनों के वेतन की हानि तो होती ही है, कई बार उन्हें रोजगार से भी हाथ धोना पड़ता है । हड़ताल लम्बी हो जाने पर वेतन समय पर नहीं मिलता जिससे श्रमिक व उसके परिवार को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं ।

औद्योगिक अशांति के कारण समाज को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त नहीं होती और संस्था व समाज इस अवस्था का दोष श्रमिकों को देते हैं जिससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचता है ।

(3) समाज पर प्रभाव (Effect of Society):

समाज को उपभोक्ताओं के रूप में हानि उठाने के अतिरिक्त भी बहुत अधिक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं माल रुक जाने से बाजार में उत्पादन की कमी हो जाती है । श्रमिकों को वेतन न मिलने के कारण वह परिवार को दुखों से बचाने के लिए लूटमार करते हैं जिससे अशाति का वातावरण बन जाता है ।

औद्योगिक अशांति दूर करने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है । इस झगड़े में कुछ श्रमिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है जिससे उनके परिवार बेसहारा हो जाते हैं ।

(4) उपभोक्ता पर प्रभाव (Effect of Consumers):

औद्योगिक अशांति के कारण उत्पादन रुक जाता है जिससे उपभोक्ता अपने आवश्यकता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में क्रय नहीं कर पाते, साथ ही उत्पादन गिर जाने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उत्पादन की किस्म में गिरावट द्वारा मूल्य स्तर बनाये रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं का जीवन-स्तर काफी निम्न हो जाता है ।

(5) अंशधारियों पर प्रभाव (Effect on Shareholders):

औद्योगिक असंति से उत्पादन रुक जाने के कारण संस्था को लाभ प्राप्त नहीं होता । साधन बेकार पड़े रहते हैं तथा स्थिर व्ययों का भार पूर्ववत बने रहने के कारण कई बार बहुत भारी हानि हो जाती है । संस्था में लाभ न होने के कारण अंशधारियों तथा मालिकों को लाभांश प्राप्त नहीं होता ।

(6) सरकार पर प्रभाव (Effect on Government):

औद्योगिक संघर्ष के कारण संस्थाओं का लाभ गिर जाता है जिससे सरकार को कर के रूप में कम आय होती है । इतना ही नहीं, औद्योगिक संघर्षों से नियोक्ताओं के विश्वास को धक्का पहुँचने के कारण सरकार को नियोक्ताओं से उद्योगों में पूँजी आकर्षित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

साथ ही जनता की माँग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है जिसके लिए देश की सरकार को विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी पड़ती है । वर्तमान में यह स्वीकार किया गया है कि "प्रबन्ध के बिना श्रमिक उसी प्रकार बेकार सिद्ध होंगे जिस प्रकार श्रमिक के बिना प्रबन्धक" |

अत: स्पष्ट है कि औद्योगिक सम्बन्धों का ठोस आधार औद्योगिक शान्ति की स्थापना करना है । औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या का प्रभावशाली समाधान दोनों वर्गो के बीच आपसी सम्बन्ध विश्वास और निर्भरता को जगाना है ।

दोनों ही वर्ग अतिरेक (Surplus) के विभाजन पर नजर न रखकर उसके आकार और मात्रा के बढ़ने पर ही हमान दें । लाभ के बढ़ने पर ही औद्योगिक विकास मालिक का लाभांश तथा श्रमिको की मजदूरी निर्भर करती है ।

यदि दोनों ही पक्ष अपने संकुचित स्वार्थ के घेरे में घूमते रहेंगे तो संस्था का विकास असम्भव हो जायेगा । इसलिए दोनों ही पक्षों को स्वार्थ के स्थान पर सहयोग का मार्ग अपनाना होगा । अपने हितों की आहूति संस्था के विशाल एवं सामूहिक हितों के लिए देनी होगी । प्रबन्ध का कोई भी सिद्धान्त चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, किसी के हितों की कीमत पर लागू नहीं करना चाहिए ।

चाहे कितनी भी श्रेष्ठ सामग्री, यन्त्र औजारों का उपयोग किया जाए और उत्पादन की सर्वोत्तम विधि अपनाई जाए; जब तक श्रमिकों में कर्तव्य पालन की भावना नहीं आयेगी तब तक इन सब विधियों का सदुपयोग सम्भव नहीं हो सकता है ।

इस सम्बन्ध में हण्ट ने अपने विचार को इस प्रकार परिभाषित किया है:

"सुन्दर तथा नए औजारों और यन्त्रों का प्रयोग तब ही सुखद परिणाम दे सकता है जब पूँजीपति और श्रमिको के मानवीय सम्बन्ध मजबूत हों, तथा उनके बीच बढ़ती खाई को पाटा जा सके ।"

2. अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की आवश्यक शर्तें (Conditions for Good Industrial Relations):

अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध औद्योगिक विकास का मूल आधार है । औद्योगिक संघर्ष किसी संगठन में अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की अनुपस्थिति के प्रतीक हैं, जिससे कि देश, उद्योग समाज, प्रबन्धकों एवं श्रमिकों सभी के हितो पर बुरा प्रभाव पडता है । अत: यह आवश्यक है कि श्रम-प्रबन्ध में अच्छा सहयोग हो । अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं सरकार सभी का संयुक्त उत्तरदायित्व है ।

अच्छे एवं मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है:

(1) प्रबन्धकों एवं श्रमिकों का एक-दूसरे के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए । यदि प्रबन्धक श्रम-संघ को एवं श्रम-संघ प्रबन्धकों को स्वीकार नहीं करेंगे तो मधुर एवं अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की उम्मीद नहीं की जा सकती । अत: आवश्यक है कि प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को संगठन में बराबरी का स्थान दिया जाए एवं प्रबन्ध में भागीदारी/सहभागिता को लागू किया जाए ।

श्रमिकों की प्रबन्ध में सक्रिय/सहभागिता मात्र औपचारिकता न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक होनी चाहिए एवं इसका कार्यक्षेत्र भी स्पष्ट होना चाहिए । इस योजना से मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा ।

(2) औद्योगिक सम्बन्धों के दोनों पक्षों मे खुला एवं स्वतन्त्र द्वि-पक्षीय सम्प्रेष/संदेशवाहन होना चाहिए ।

(3) नियोक्ताओं को श्रम-कल्याण के कार्यों एवं इससे सम्बन्धित योजनाओं के प्रति जागरूक एवं उत्सुक होना चाहिए । उन्हें इन योजनाओं को लागू करने की पहल करनी चाहिए ।

(4) नियोक्ताओं द्वारा ऐसी नीति को अपनाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत बड़ी हुई उत्पादकता में श्रमिको तथा नियोक्ताओं को बरबार का हिस्सा मिले । उद्योगो में श्रमिकों के लिए लाभों में हिस्सेदारी (Profit Sharing) की योजना को भी लागू किया जाना चाहिए ।

वर्तमान में भी उद्योग में स्वामित्व की भावना उत्पन्न करने के लिए कुछ बड़ी संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ अपने कर्मचारियों को अंशों का निर्गमन करते समय

उन्हें अंशों का आबंटन कर रही हैं । किन्तु बहुत से श्रमिक एवं कर्मचारी धन के अभाव में अंशों को क्रय नहीं कर पाते ।

अत: श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के पास पर्याप्त धन न होने पर उन्हें अंश क्रय करने के लिए भविष्य-निधि अथवा प्रॉवीडेन्ट फण्ड में धन दिया जाना चाहिए । यह योजना श्रमिकों में स्वामित्व की भावना पैदा करने एवं औद्योगिक सबन्धों को मधुर बनाने में सहायक होगी ।

(5) नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के सभी स्तरों पर उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(6) प्राय: एक उद्योग में एक से अधिक श्रम-संघ होते हैं । इससे श्रम-संघों में आपसी तनाव एवं मतभेद उत्पन्न होते हैं एवं नियोक्ताओं के साथ किए जाने वाले समझौतों से समस्याएँ पैदा होती हैं । इस समस्या से निपटारे के लिए उपाय है कि एक उद्योग में एक ही श्रम-संघ की व्यवस्था होनी चाहिए तथा नियोक्ता को केवल मान्यताप्राप्त संघ से ही समझौता करना चाहिए ।

(7) कारखाने के सभी स्तरों पर अच्छे मानवीय सम्बन्धों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए ।

(8) श्रमिकों के हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय की जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त सन्देशवाहन की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(9) औद्योगिक विवाद अधिनियम, (Industrial Disputes Act, 1947) में औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक व्यवस्था की गई है । लेकिन विवादों का शीघ्र निपटारा नहीं हो पाता । इसके फलस्वरूप श्रम-प्रबन्ध सम्बन्धों में कटुता बनी रहती है । सरकार द्वारा श्रम-प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों में शीघ्र न्याय दिलाने एवं विवादों के निपटारे की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(10) उद्योग में अधिकतर विवाद वेतन, मजदूरी व महँगाई भत्ते आदि समस्याओं के कारण होते हैं । अत: इनके सन्दर्भ में सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति बनायी जानी चाहिए इससे औद्योगिक विवादो में कमी आएगी एवं औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा ।

(11) सुदृढ़ (Strong), जिम्मेदार (Responsible), तथा जनतन्त्र पर आधारित (Based on Democracy) श्रम संघ तथा नियोक्ता संघों का होना ।

(12) श्रमिकों एवं प्रबन्धकों का औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक सौदेबाजी एवं अन्य शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास होना चाहिए ।

(13) सरकार द्वारा उचित श्रम-मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

(14) औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए श्रम-संघों से किए गए समझौतों को लागू करने की व्यवस्था करना ।

(15) मधुर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम-सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए । इन सम्मेलनों में प्रबन्धकों एवं श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी मिलती है ।

इन सम्मेलनों में श्रमिकों प्रबन्धकों एवं सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जिससे कि उन समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, एवं रचनात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं ।

----------*******The End*******----------